उप वन संरक्षक कोटा ने कृषि उपज मण्डल समिति द्वारा एन.एच.–76 बाई पास तक विस्तार हेतु प्रस्तावित की गयी 96 हैक्टर वनभूमि के बारे में मौके की स्थिति से संबंधित बिन्दुओं पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत की गई है:–

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा एन.एच.–76 बाईपास तक विस्तार हेतु प्रस्तावित की गई 96 हैक्टयर वनभूमि के प्रस्ताव (भामाशाह मण्डी के प्रस्ताव) का अध्ययन किया गया। मेटिगेटिव मेजर्स के अन्तर्गत 4000 पौधे लगाये गये है, जहाँ पौधे लगाये गये है वह वनभूमि भामाशाह मण्डी विस्तार हेतु प्रस्तावित नहीं की गई है। उप वन संरक्षक कोटा द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में अवगत कराया कि उक्त स्थल एन.एच. 76 ईस्ट वेस्ट कोरिडोर के निर्माण में एफ.सी.ए. के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो में शर्त सं. 5 के अनुसार इस क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना है। उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अवगत कराया है कि, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक F NO-8-3/2006-FC दिनांक 06.07.2017 में आवश्यक संसोधित स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उक्त प्रस्तावित वनभूमि प्रत्यावर्तन किया जाना उचित होगा।

मौके पर रीको द्वारा 47 हैक्टयर वनक्षेत्र में अतिक्रमण किये जाने पर उप वन संरक्षक कोटा ने अवगत कराया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा से अतिक्रमण के संबंध में जानकारी चाही जाने पर क्षेत्रीय लाडपुरा द्वारा पत्रांक 1691 दिनांक 23.03.2018 से अवगत कराया गया कि, उक्त वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में तत्समय क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा द्वारा रिको कोटा के विरूद्व विभागीय एफ. आई.आर. 56–09 दिनांक 19.09.1996 दर्ज की गई थी। इस एफ.आई.आर. में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

प्रयोक्ता अभिकरण भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति ने विस्तार हेतु पूर्व में 74 हैक्टयर प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। उप वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्तावित साईट का मौका निरीक्षण करने एवं रिकोर्ड देखने पर पाया गया कि, वर्तमान में स्थापित कृषि उपज मण्डी में 22 हैक्टयर वनभूमि पूर्व से ही सम्मिलित है। प्रयोक्ता अभिकरण को पुनः उप वन संरक्षक कोटा द्वारा वर्तमान में कृषि उपज मण्डी में स्थित वनभूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु दिनांक 14.08. 2017 को इस कार्यालय द्वारा EDS जारी किया गया। तदउपरांत प्रयोक्ता अभिकरण भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उनके कब्जे की भूमि 22 हेक्टयर को 74 हैक्टयर में सम्मिलित करते हुये कुल 96 हैक्टयर वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार से पूर्व में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति एन0एच0 76 ईस्ट वेस्ट कोरिडोर निर्माण हेतु शर्त सं. 5 में संसोधन होने पर ही कृषि उपज मण्डी विस्तार हेतु उपरोक्त 96 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।

20/4/18

(इन्द्राज सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Scanned by CamScanner